2020/00244

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्रीमती कमला कुंवर पत्नि श्री जुजारसिंह
जाति राजपूत
निवासी भटवाडा रोड़ बीसलपुर पाली
जिला पाली।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 46 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 23.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उनके पिता श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह निवासी सिरोही का डुप्लीकेट पी.पी.ओ. की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 23.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उनके पिता श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह निवासी सिरोही का डुप्लीकेट पी.पी.ओ. की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। कोषाधिकारी सिरोही द्वारा अपीलांट को जरिये पत्र क्र. 767 दिनांक 25.09.2019 द्वारा सूचना दे दी गई है कि पेंशन भुगतान का कार्य सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जाता है एवं पत्रावली बैंक में ही रहती है। कोषालय में पी.पी.ओ. की प्रति उपलब्ध नहीं रहती है। इस कारण सूचना देना सम्भव नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	298-99 13/8/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner